

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6


(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

श्री दिनेश कुमार शर्मा व्याख्याता (इतिहास), राउमावि कोटा महोली (करोली) जन्म तिथि- 01.12.1958 का निधन दिनांक- 19.07.2016 को हो चुका है। अतः श्री दिनेश कुमार शर्मा की सेवायें दिनांक- 19.07.2016 से समाप्त की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/11
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक:- 26/8/2016

- (1) निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, करोली
- (3) उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग, भरतपुर
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) करोली
- (5) प्रधानाचार्य, राउमावि, कोटा महोली (करोली) को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावे।
- (6) अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग **1 कास्युटर अनुभाग**
- (7) निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर